ईसरदा बांध पर क्रशर मशीन से मजदूर की मौत

टोंक। बनेठा क्षेत्र के पास से बह रही बनास नदी पर बने ईसरदा बांध परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में बुधवार को एक श्रमिक की क्रशर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दौरान परिजन व ग्रामीणों ने ईसरदा

■ ग्रामीणों का प्रदर्शन, मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग

बांध पर ही मृतक के परिजनो को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर मौके पर हीं पड़ाव डालकर बैठ गए है तथा मांगे पूरी करने पर मृतक का शव नहीं उठाया गया है।

सूचना पर पंहुचे उनियारा तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने ग्रामीणो से समझाइश की लेकिन शाम तक कोई समाधान नहीं निकला। जहां बनेठा थाना पुलिस मय जाप्ता मौके पर तैनात है। इस दौरान बनेठा पुलिस ने बताया कि चौथ का बरवाड़ा निवासी रामबिलास केवट पुत्र गिर्राज केवट उम्र 35 साल जो बुधवार को क्रेशर मिक्सर मशीन पर कार्य कर रहा था, वही दोपहर को उसका नियत्रंण बिगडे से वह मशीन की चपेट में आ गया, तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों ने मुआवजे को लेकर चचा की गई।

ईसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य में श्रमिक की क्रशर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई।

लोकार्पण पट्टिका तोड़ने वालों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

टोंक। जिला कांग्रेस कमेठी द्वारा गुरूवा को जिला पुलिस अधीक्षक को विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोकार्पण पट्टिकाओं को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में बताया कि टोंक शहर के क्षेत्र बरखड़ा बाबा चौराहा, आशिष होस्पिटल के सामने सिविल लाईन रोड व ईदगाह आर.ए.सी. वाले रोड पर, बहीर कब्रिस्तान के सामने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर राजस्थान सरकार द्वारा अनावरण व लोकार्पण पट्टिका लगाई जाती है, जो कि सार्वजनिक सम्पत्ति है। उक्त लोकार्पण पट्टिकाओं को जानबूझकर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो कि जनप्रतिनिधि और सरकार का अपमान ही नही अपितु सार्वजनिक सम्पत्तियों का नुकसान भी है। इससे आमजन की भावनाओं को भी ठेस पहुँच रही है। इन आरोपियों पर नियमानुसार कार्यवाही कर दण्ड देने हेतु मांग की है।

खैरथल में भर्तृहरि नगर को लेकर बरकरार है असमंजस

खैरथल। अलवर सांसद केंद्र सरकार में पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्री भूपेंद्र यादव देश के बढ़े नेता हैं। संसद से लेकर शहर गांव में उनके विकास की लोग मिशाल देते हैं ऐसे में बडा सवाल यह है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र खैरथल में करीब एक माह से आंदोलन कर धरने पर बैठे लोगों को भर्तृहरि नगर की स्थिति से स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा क्या कारण है जो वह खैरथल नहीं आ रहे हैं। 7 अगस्त 2025 को खैरथल जिला मुख्यालय पर लोग जिला स्थापना दिवस मना रहे थे इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ट्वीट ने खैरथल के लोगों के होश उडा दिए जेसे पांवों के निचे से जमीन खिसक गई हों। ट्वीट कर मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त कर अपनी ओर से

■ खैरथल में करीब एक महीने से चल रहा है प्रदर्शन धरना

शुभकामनाएं प्रेषित की थी। इसके बाद जब मुंडावर विधायक ललित यादव ने विधानसभा में सवाल पूछा तो उसके जवाब में सरकार ने बता दिया है कि सरकार की ओर से खैरथल के नाम और मुख्यालय को लेकर राजस्व विभाग स्तर पर कोई परिपत्र या अधिसूचना वर्तमान में जारी नहीं की गई है। इसके बाद भी खैरथल के लोग अभी भी डरे और सहमय हुए हैं और घरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री खैरथल के लोगों को स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। खैरथल बचाओ संघर्ष समिति के ओमप्रकाश रोघा का कहना है। 2 साल पहले खैरथल को जिले का नाम और मुख्यालय यहां के क्षैत्रिय विधायक दीपचंद खैरिया की वफादारी और सरकार के प्रति ईमानदारी की बदौलत मिला है। जिसे अब प्रदेश की भाजप सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नाम और मुख्यालय दोनों को ही खैरथल से छिनकर के कहीं और ले जाना चाह रहे। यह सजा खैरथल को दुसरी बार दीपचंद खेरिया के पक्ष में वोट करने की मिल रही है या फिर भूपेंद्र यादव को जिताने में कोई गलती खैरथल से हुई है उसकी है नही तो कांठोस ने और भी जिले बनाए हैं उनमें खैरथल का ही नाम मुख्यालय बदलने की जरूरत क्यों पड़ा खैरथल में जिले की स्थापना को हुए 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद भी अभी तक ना बस स्टैंड है और ना ही सभी शहर कस्बों के रूठ के लिए बसें है।

बैंक का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार

जयपुर। चौमूं थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे साइबर शिल्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट और कमीशन पर खाता बेचने वालों का खाता खोल कर देने वाले आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में दो मामले दर्ज कर आरोपितों को पकड़ा है और सात लोगों को कमीशन पर खाता बेचने पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि चौमूं थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे साइबर शिल्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट और कमीशन पर खाता बेचने वालों का खाता खोलकर देने वाले आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर शिवा खांडल निवासी चौमूं को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित शिवा खांडल ने 4 सितम्बर 2024 को सहायक मैनेजर के पद पर जॉइन किया और उसके बाद आरोपित ने संदीप शर्मा के लाए हुए फर्जी बैंक धारकों के खाते खुलवाए और साइबर धोखाधड़ी का पैसा डलवाता। आरोपित ने अब तक 10 से ज्यादा फर्जी खाते खुलवाए है। जिसमें 10 करोड से ज्यादा लेन-देन सामने आया है।

जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी आयोजित

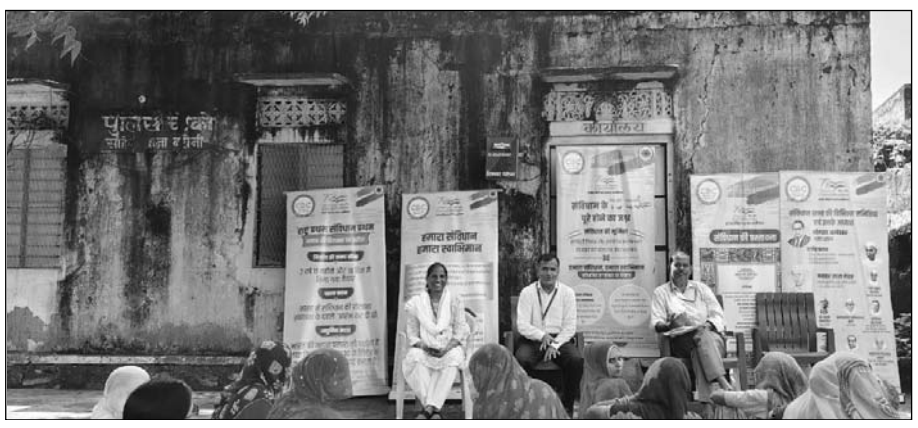

टोंक में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

टोंक। महिला एवं बाल विकास विभाग व शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले में चलाये जा रहे, विशेष प्रचार अभियान के तहत सोहेला ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) भंवरलाल कुम्हार ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आमजन को विकास की मुख्यधारा में जोडने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सम्पूर्ण जानकारी के अभाव में आज भी उन्हे योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा की आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को भी उन्हे लाभ दिलाने के लिए अपनी भागीदारी निभानी होगी।

प्रारम्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा की संविधान के 75 वर्ष पुरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक साल तक कार्यक्रम आयोजित किए जाने है। उन्होने कहा की इसी श्रंखला मे हमारा-संविधान, हमारा स्वाभिमान विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित कर संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार और कर्तव्यो के साथ-साथ अनेक जन कल्याणकारी योजनाओ के बारे में जानकारी देकर आमजन को खासकर युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है।

नशामुक्ति शिविर

टोंक। मुख्यालय स्थित नवीं बटालियन आरएसी में गुरुवार को मनोरोग एवं नशामुक्ति हेतु शिविर लगाया गया है, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का मनोरोग एवं नशामुक्ति विशेषज्ञ डॉ. योगेश कुमार दासोदिया ने चेकअप कर इलाज किया।

दीपावली से पहले अलवर में 100 से अधिक सड़कें होगी दुरूस्त

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरूवार को मिनी सचिवालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में अलवर शहर की साफ-सफाई, सड़क, रोड लाइट आदि विषयों समीक्षा बैठक लेकर

■ जिला कलेक्टर ने समीक्षा कर बैठक में दिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश

आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 के लिए एक 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप दिया जाए।

जिला कलेक्टर ने बिन्दुवार समीक्षा कर नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि शहर की आमजन से जुड़ी मूलभूत सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होवे, इसके लिए अंतर विभागीय समन्वय के साथ गहन मॉनिटरिंग की

कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कलक्ट्रेट सभागार में अलवर शहर की साफ-सफाई आदि विषयों पर समीक्षा बैठक की।

जावे। शहर में बरसात एवं अन्य कारणों से क्षितठास्त हुई 100 से अधिक सड़कें चिन्हित की गई हैं, जिनमें पेचवर्क कराने के साथ नई सड़कें बनाने के भी कार्य हैं। इसके लिए नगर विकास न्यास, नगर निगम व पीडब्ल्यूडी को उन्होंने निर्देशित किया है कि यथासंभव दीपावली से पूर्व सभी सड़कें दुरूस्त कर दी जावे। इसके लिए विभागीय समन्वय बनाने के साथ सभी प्रकार की तकनीकी, वित्तीय प्रक्रियाओं को टाइमलाइन निर्धारित कर इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने नगर निगम व नगर विकास न्यास को सभी रोड लाइटों का सर्वे कराकर खराब रोड लाइटों को दुरूस्त करावे तथा चिन्हित स्थानों पर 4 हजार नई रोड लाइट लगाने का कार्य दीपावली से पूर्व करने के दिशा-निर्देश दिये। साथ ही नई लगाई जाने वाली रोड लाइटों की सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जावे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/610
चूंकि प्रार्थी श्री ANAND AGARWAL 63 A J TONK ROAD MILAP NAGAR, DURGAPURA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास अपैक्स स्वाथ्य कल्याण क्लड बैंक सोसायटी SP 6 MALVIY INDESTRAL AREA MALVIY NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/611
चूंकि प्रार्थी श्री ANAND AGARWAL 63 A J TONK ROAD MILAP NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास स्वास्थ्य कल्याण एजुकेशन सोसायटी जयपुर SWASTHYA KALYAN BHAWAN JAY VILL NARAYAN SINGH ROAD TRIMUTRI CERCIL KE PASS JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/612
चूंकि प्रार्थी श्री SANJAY KUMAR KHAWAD, 601 SINDHI COLONY RAJA PARK JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रक्तदान परिसंघ सोसायटी जयपुर SWASTHYA KALYAN BHAWAN TRIMURATI CIRCAL NARAYAN SINGH ROAD JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/607
चूंकि प्रार्थी श्री KEDAR PRASAD SHRIMAL VILL THALI TEHSIL CHAKSU DISTRICT JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास गुमोदर सामाजिक संस्थान VILL THALI TEHSIL CHAKSU DISTRICT JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/626
चूंकि प्रार्थी श्री TRILOK CHAND JAIN 226-227 VARDHMAN SAROVAR A SANGANER GANPATPURA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रजत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी 101/189 NEW SANGANER ROAD, NEAR PATEL MARG, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन
मैंने (महेन्द्र सिंह) अपने पुत्र का नाम पुष्पेन्द्र सिंह से बदलकर पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी कर लिया है भविष्य में इसे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता मकान नं. 40बी राम विहार कल्यापुरा, मानसरोवर जयपुर-302020

I Vikram Kumar Alias Vikram Kumar Meghwal S/o Mava Ram R/o Home No. 23 Dabhi Vas, Kotra, Kotra, Village Kotra Post, Jetawara Tehsil Reodar District Sirohi, Jetawara, Po-Jetawara, Dist-Sirohi, Rajasthan-307513 have changed my name to Vikram Kumar Dabhi

उठावना

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है की हमारे प्रिय
आशीष जी भंडारी
पुत्र (स्वर्गीय श्री विनोद जी भंडारी) का स्वर्गवास दिनांक 10.09.2025 को हो चुका है। उठावना व शोक निवारण दिनांक 12.09.2025 को दिन के 12 बजे, स्थान चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर दुर्गापूरा पर रखा गया है।
शोकाकुल- निर्मला (माता जी), रीटा (पत्नी), आदर्श-मनीषा (भाई-भाभी), काव्य (भतीजा) एवं समस्त भंडारी परिवार इंदौर व जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायलय ADJ10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
लक्ष्मीनारायण विरुद्ध प्रभुदेवी वगै.
वाद बाबत् आदेश 7 नियम वशिष्ट अनुपालना इकरारनाम एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 200 सन् 2025
नाम प्रभु देवी पत्नी श्री बन्नालाल स्थान ग्राम नृसिंह पुरा पो. मुकुन्दपुर तह. सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर राज.
ने आपके विरुद्ध नकल संलग्न है के वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 15 माह 09 सन् 25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता 09 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर, न्यायालय सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायलय ADJ10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
लक्ष्मीनारायण विरुद्ध प्रभुदेवी वगै.
वाद बाबत् आदेश 7 नियम वशिष्ट अनुपालना इकरारनाम एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 200 सन् 2025
नाम नानगी देवी पुत्र स्व. श्री देवाराम स्थान ग्राम नृसिंह पुरा पो. मुकुन्दपुर तह. सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर राज.
ने आपके विरुद्ध नकल संलग्न है के वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 15 माह 09 सन् 25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता 09 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर, न्यायालय सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायलय ADJ10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
लक्ष्मीनारायण विरुद्ध प्रभुदेवी वगै.
वाद बाबत् आदेश 7 नियम वशिष्ट अनुपालना इकरारनाम एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 200 सन् 2025
नाम प्रभु देवी पत्नी श्री बन्नालाल स्थान ग्राम नृसिंह पुरा पो. मुकुन्दपुर तह. सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर राज.
ने आपके विरुद्ध नकल संलग्न है के वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 15 माह 09 सन् 25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता 09 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर, न्यायालय सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 व 5)
नाम न्यायलय ADJ10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
लक्ष्मीनारायण विरुद्ध प्रभुदेवी वगै.
वाद बाबत् आदेश 7 नियम वशिष्ट अनुपालना इकरारनाम एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 200 सन् 2025
नाम नानगी देवी पुत्र स्व. श्री देवाराम स्थान ग्राम नृसिंह पुरा पो. मुकुन्दपुर तह. सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर राज.
ने आपके विरुद्ध नकल संलग्न है के वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 15 माह 09 सन् 25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता 09 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर, न्यायालय सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 व 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर राज.
देवकरण वगै० ..विरुद्ध.. रामशीवण वगै०
वाद बाबत धौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
वाद पत्र सं0 97/2024
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 66/2024
नाम
1. रामजीवण पुत्र लक्ष्मण,
2. सुन्दर देवी पत्नि लक्ष्मण
3. धारासिंह पुत्र लक्ष्मण
4. रोडी पुत्री लक्ष्मण
5. हजारी पुत्र भंवरलाल
6. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल
7. सुखाराम पुत्र भंवरलाल
8. माना पुत्री भवंरलाल
9. ज्ञाना पुत्री भवंरलाल
10. पाना पुत्री भंवरलाल
समस्त जाति गुर्जर नि. सिपुरा तन साखून तह. दूदू जिला दूदू राज. हाल नि. हरमाडा तह. रूपनगढ़ जिला अजमेर राज.
वादीगण... ने आपके विरूद्ध उपरोक्त... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 15 माह 09 वर्ष 20225 को दिन में 10 बजे दावें का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्